पत्रांक /4868/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 05 /14–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांकः: देहरादून ::22 जनवरी 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 100/2015/181(120)/xxvii(8)/08/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन से अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 4868 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।

3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।

4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।

5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

8– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

9– **श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

v.notification/14.15 | 297

10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

12–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

13–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

14–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15–Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

17–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

18–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

19–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

20–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

21– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

22–The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

23– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

24– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

25– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

v.notification/14.15 | 298

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2015/181(120)/XXVII(8)/2008
दिनांक:: देहरादून :: 20 जनवरी 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं–

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 21 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 21 के वर्तमान उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात् :--

(6) (क) ऐसा ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, उस ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जिससे कर की कटौती की गयी है, को कर की कटौती की धनराशि के सम्बन्ध में प्ररूप VIII(जिसे, कमिश्नर अधिनियम या नियम के प्राविधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए, शासन को सूचित करते हुए संशोधित कर सकते हैं), में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऐसे टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र में स्रोत पर कर कटौती करने के लिये दायी व्यक्ति का टीडैन(TDAN)/ टिन(TIN) तथा जिस ब्यौहारी से कटौती की गयी है, के टिन(TIN) का उल्लेख किया जायेगा।

(ख) यह प्ररूप, दो प्रतियों में, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्रोत पर कर कटौती करने के लिये दायी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति को जारी किया जायेगा। ऐसा ब्यौहारी अथवा व्यक्ति उस ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जिससे कर की कटौती की गयी है, को पूर्ण रूप से भरी हुई एवं सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित मूल प्रति जारी करेगा;

परन्तु यह कि किसी विशेष तारीख अथवा किसी विशेष अवधि के

बाद से, जैसा कि उचित समझे कमिश्नर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा फार्म जारी किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर सकता है और ऐसे ब्यौहारी/व्यक्ति, जो स्रोत पर कर कटौती करने के लिये दायी है, को उसके द्वारा इलैक्ट्रॉनिकली दाखिल किए गए डाटा/रूपपत्र के आधार पर ऐसे फार्म, दो प्रतियों में, वाणिज्य कर विभाग की वैबसाईट से जनरेट एवं डाऊनलोड करने की अनुमति दे सकता है। कमिश्नर इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर सकता है;

(ग) ऐसे प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्राप्त होने पर कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी धनराशि को उस ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा जमा किया गया समझेगा जिसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया है बशर्ते कि प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो और जारी करने वाले ब्यौहारी अथवा व्यक्ति का टीडैन(TDAN)/ टिन(TIN) एवं ब्यौहारी अथवा व्यक्ति जिससे कटौती की गयी है, का टिन(TIN) स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

सं0 100/2015/161(120)/XXVII(8)/08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.100/2015/181(120)/XXVII(8)/08 dated 20 JANUARY 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Vitta Anubhag-8
No. 100/2015/181(120)/XXVII(8)/08
Dehradun : Dated: 20 JANUARY, 2015

Notification

In exercise of powers conferred by section 71 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005.

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014

Short title and Commencement

1. **(1)** These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in Rule 21

2. For the existing sub-rule (6) of rule 21 of the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005 the following sub-rule shall be substituted; namely-

(6) **(a)** Such dealer or person shall issue to the dealer or person from whom tax has been deducted, a certificate in Form VIII (which can be amended by Commissioner, with objective to ascertain the compliance of the provisions of the Act or Rules, under intimation to the Govt.), regarding the amount of tax deducted. The TDAN/ TIN of the person liable to deduct tax at source and the TIN of the dealer from whom deduction has been made shall be mentioned on such TDS certificate.

(b) This Form, in duplicate, shall be issued by the assessing authority to the dealer/ person who is liable to deduct tax at source. Such dealer / person shall issue the completely filled and duly signed original copy to the dealer / person from

whom tax has been deducted;

Provided that Commissioner, from a particular date or after a particular period which he deems fit may, discontinue the system of issue of such Forms by the Assessing Authority and allow the dealer/ person who is liable to deduct tax at source to electronically generate and download such Forms in duplicate from the official website of the Commercial Tax Department on the basis of the data/ return submitted electronically by him. Commissioner may, issue necessary instructions in this regard.

(c) The assessing authority on receipt of the original copy of such certificate, shall treat the amount to have been deposited by the dealer / person in whose favour the certificate has been issued provided that the certificate is completely filled and duly signed and the TDAN/ TIN of the issuing dealer/ person and the TIN of the dealer/ person from whom deductions have been made, are clearly mentioned in such TDS certificate.

(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.